

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान  
क्रमांक-विभागा/प्रा-दि/उदय/सामा-2/मान्यता/98-99/2001/10 दिनांक-25-2-99

निदेशक महोदय,  
प्रारम्भिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

विषय:- विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय, उद्याव (वि०) को स्थायी मान्यता दिये जाने हेतु मान्यता निरीक्षण प्रतिवेदन मय प्रकरण प्रेषित करने का क्रम ।

संदर्भ:- लेखाधिकारी, शिक्षा, गुण-5, विद्यालय, राजस्थान जयपुर के पत्रांक-4011/10, शिक्षा-5/98 जयपुर दिनांक-25-2-99

उपरोक्त विद्यालयगत निवेदन है कि रामगुप्त राजस्थान सोसायटी द्वारा संचालित विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्जी माध्यम से चल रहा है । विद्यालय को संयुक्त निदेशक [प्राथमिक] के आदेश क्रमांक-विभागा/प्रा/सी/19402/113/97-98 दिनांक-11.12-97 के द्वारा सीमा क्रमांक-99-20000 का को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई है ।

लेखाधिकारी, शिक्षा, गुण-5, विद्यालय, राजस्थान, जयपुर ने प्राथमिक पत्र द्वारा उक्त विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान करने हेतु सम्य सीमा में शिक्षा निरीक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव आयोग माध्यम से चाहे गये है । उक्त विद्यालय को स्थाई मान्यता प्रदान दिये जाने हेतु विद्यालय का निरीक्षण गठित दल द्वारा करवाया जा चुका है ।

विद्यालय को स्थाई मान्यता दिये जाने हेतु प्रकरण 2 प्रति में मय निरीक्षण प्रतिवेदन सौंप कर आयोग सेवानुसार चलाया जा रहा है । निरीक्षण प्रतिवेदन की अतिरिक्त आयोग यदि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है तो निरीक्षण की प्रतियां विद्यालय से जनजाति क्षेत्र के छात्र/छात्रों को सौंपा जावे ।

संदर्भ:- प्रकरण- 2 प्रति

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

क्रमांक-विभागा/प्रा-दि/उदय/सामा-2/मान्यता/98-99/2001/10  
प्रतिलिपि तुल्यार्थ :-

1. लेखाधिकारी, शिक्षा, गुण-5, विद्यालय, राजस्थान जयपुर को प्राथमिक पत्र की पालना में ।
2. प्रधानाध्यापक, विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय, उद्याव (वि०) को सौंपा जावे ।

जिला शिक्षा अधिकारी  
[प्रारम्भिक शिक्षा] उदयपुर

